

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./54/2008/ 225

भोपाल, दिनांक 25/9/08


:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती समिधा मिश्रा (त्रिपाठी) वरि.अध्यापक (जीव विज्ञान) शा. उमावि कैडिया जिला-उमरिया	जिला पंचायत उमरिया जिला-उमरिया जा.क्र. 621, दि. 14.05.08	नगर पालिक निगम, कटनी जिला-कटनी जा.क्र. 845ए, दि. 30.05.08 शा. उमावि एनकेजे
2	श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव (विकलांग) वरि.अध्यापक (वाणिज्य) शा. उमावि क्र.2 जिला-भिण्ड	नगर पालिका परिषद भिण्ड जिला-भिण्ड जा.क्र.1283, दि.04.06.08	नगर पालिक निगम ग्वालियर जिला-ग्वालियर जा.क्र.820, दि.05.09.08 शा.उमावि पटेल

संविलियन की शर्तें -

- यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
- तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों कार्यमुक्त न किया जाए ।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक




५

विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।

6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारार्थीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

  
25/9/08  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 25/9/08

पृष्ठा. क्र0/शि.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./54/2008/226  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. संबंधित वरिष्ठ अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
25/9/08  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./53/2008/ 217

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 25/9/12

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती अर्चना मण्डलोई वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) शा. उमावि बलेड़ी जिला-उज्जैन	जिला पंचायत उज्जैन जिला-उज्जैन जा.क्र. 4968, दि. 27.06.08	जिला पंचायत देवास जिला-देवास जा.क्र. 2191, दि. 26.08.08 शा. उमावि सिया शा. उमावि आगरा

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।







8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जान/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।  
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

पृष्ठा. क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./56/2008/ 218  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. कलेक्टर, जिला-उज्जैन एवं देवास मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, उज्जैन एवं देवास मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार संविलियन शर्तों के अनुसार पुष्टि हेतु पालनार्थ ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन एवं देवास मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. श्रीमती अर्चना मण्डलोई वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) शा. उमावि बलेड़ी जिला-उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 25/9

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./12/2008/ 215

भोपाल, दिनांक 25/9/18


:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती सुनीता त्रिपाठी सहायक अध्यापक शा. प्रावि विशेषपुरा जिला-दतिया	जनपद पंचायत भाण्डेर जिला-दतिया जा.क्र. 1669, दि. 30.07.08	जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर जा.क्र. 1615, दि. 04.08.08 शा. प्रावि विड़रा

संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।






निर्देश-2



9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।  
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
25/9/08  
उप संचालक

 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 25/9/08

पृष्ठा. क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./12/2008/ 216  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. कलेक्टर, जिला-दतिया एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, दतिया एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, दतिया एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भाण्डेर जिला-दतिया मध्यप्रदेश ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. श्रीमती सुनीता त्रिपाठी सहायक अध्यापक, शा. प्रावि विशेषपुरा जिला-दतिया की ओर सूचनार्थ ।

  
25/9/08  
उप संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./035/2008/369

भोपाल, दिनांक- 25/9/08

//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती भारती रैदास सहायक अध्यापक शा.क.हाईस्कूल पचमढ़ी जिला होशंगाबाद	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पचमढ़ी जिला होशंगाबाद जा.क्र. 264 दि. 05.07.08	जनपद पंचायत घाटीगांव जिला ग्वालियर जा.क्र. 1485 दि. 23.07.08 शा.हाईस्कूल निरावली

संविलियन की शर्त -

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित सहायक अध्यापक, को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Fourty Four-N.P.

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी .....एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

  
25/9/08  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./77/2008/


227

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 25/9/08

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती ज्योति गुप्ता अध्यापक शा. क. हाईस्कूल दिग्ठान जिला-धार	जिला पंचायत धार जिला-धार जा.क्र.13224,दि.08.09.08	नगर पालिक निगम इन्दौर जिला-इन्दौर जा.क्र.1024-जीए.दि. 23.09.08 शा. कन्या मावि क्रमांक 30
2	श्रीमती श्रीमती सुनीला रघुवंशी अध्यापक शा. मावि खोखर जिला-गुना	जनपद पंचायत गुना जिला-गुना जा.क्र. 2464,दि.04.09.08	जनपद पंचायत ईशागढ़ जिला-अशोकनगर जा.क्र. 1413, दि. 03.09.08 शा. क. हाईस्कूल नईसराय
3	श्रीमती भावना गोहर अध्यापक शा. मावि गम्भीरिया जिला-विदिशा	जनपद पंचायत कुरवाई जिला-विदिशा जा.क्र.1506,दि.04.08.08	जिला पंचायत होशंगाबाद जिला-होशंगाबाद जा.क्र. 5746,दि. 04.08.08 शा. मावि आमुपुरा
4	श्रीमती जीनत इम्तियाज, अध्यापक (कला) शा. क.मावि खेरी, जिला-सीहोर	जनपद पंचायत इछावर जिला-सीहोर जा.क्र. 965, दि. 03.07.08	जनपद पंचायत बैरसिया जिला-भोपाल जा.क्र. 5057, दि. 19.09.08 शा. हाईस्कूल धमर्रा
5	श्रीमती अन्जना श्रीवास्तव अध्यापक (कला) शा. मावि काकर जिला-शिवपुरी	जनपद पंचायत शिवपुरी जिला- शिवपुरी जा.क्र. 1550,दि. 23.07.08	नगर पालिका कोलार भोपाल जिला-भोपाल जा.क्र. 2830 दि. 24.09.08 शा. हाईस्कूल अकबरपुरा






निरन्तर ..... 2

6	श्री सुरेन्द्रसिंह हिण्डोलिया (विकलांग) 40 प्रतिशत अध्यापक शा. बा. उमावि कुभराज जिला-गुना	नगर पंचायत परिषद् कुभराज, जिला-गुना जा.क्र.380 दि.22.07.08	जिला पंचायत ग्वालियर जिला-ग्वालियर जा.क्र. 11860,दि. 18.09.08 शा. मावि शंकरपुर शा. क. मावि पुरानी छावनी (जनपद पंचायत घाटीगांव बरई जिला-ग्वालियर जा.क्र 1610, दिनांक 06.08.08 में वर्णित संस्था के आधार पर)
7	श्रीमती रीना पोद्दार सहायक अध्यापक शा. प्रावि खेरखेड़ी जिला-मन्दसौर	जनपद पंचायत भानपुरा जिला-मन्दसौर जा.क्र. 408,दि. 17.06.08	नगर पालिका परिषद् मण्डीदीप जिला-रायसेन जा.क्र. 736 दि. 30.06.08 शा. क. मावि मण्डीदीप
8	श्रीमती मालती शिवहरे अध्यापक शा. मावि दमचुआ जिला-पन्ना	जनपद पंचायत पन्ना जिला-पन्ना जा.क्र. 1782,दि. 08.07.08	जिला पंचायत छतरपुर जिला-छतरपुर जा.क्र. 1960 दि. 31.07.08 शा. न. मावि छिरावल


## संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।



11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


  
25/9/08  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25/9/08

पृष्ठा. क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./77/2008/ 228  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
  2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
  3. संबंधित जिला-कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
  4. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश ।
  5. आयुक्त, नगर पालिक निगम इन्दौर, जिला-इन्दौर मध्यप्रदेश ।
  6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
  7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश ।
  8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु । कृपया उक्तानुसार संविलियिन की शर्तों एवं संबंधितों के सेवा अभिलेखों से पुष्टि उपरान्त ही कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जावे ।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

  
25/9/08  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./76/2008/223


भोपाल, दिनांक 25/9/08

:: संशोधन ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्र./अध्या.संवर्ग/ए/संवि./031/2008/37-38, दिनांक 21.08.2008 के द्वारा अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति जारी की गई थी। उल्लेखित आदेश के स.क्र. 09 पर अंकित श्रीमती किरण सेन, अध्यापक, शा. मावि कासल पिपरिया, जिला-सागर को आदेश के कालम-3 के अनुसार जनपद पंचायत दमोह जिला-दमोह के अन्तर्गत शा. चौपरा रैयतवारी, शा. इमलाई एवं शा. मारुताल के लिए संविलियन की अनुमति जारी की गई थी। इन संस्थाओं में पद रिक्त नही होने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह के पत्र क्र./3259, दिनांक 22.09.08 द्वारा अवगत कराया गया है।

2/ उक्त के प्रकाश में जनपद पंचायत दमोह जिला-दमोह द्वारा मान्य होने पर संचालनालय के उल्लेखित आदेश के कॉलम-3 में अंकित शाला शा. चौपरा रैयतवारी, शा. इमलाई एवं शा. मारुताल के स्थान पर शा. मावि हिरदेपुर पढ़ा जावे।


शेष आदेश यथावत् रहेगा।

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./76/2008/224  
प्रतिलिपि :-


भोपाल, दिनांक 25/9/08


1. कलेक्टर, जिला-सागर एवं दमोह मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, सागर एवं दमोह मध्यप्रदेश।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सागर एवं दमोह मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रहली, जिला-सागर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दमोह जिला-दमोह मध्यप्रदेश।
6. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।  
संबंधित - श्रीमती किरण सेन, अध्यापक, शा. मावि कासल पिपरिया, जिला-सागर की ओर सूचनार्थ।

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।


“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


  
25/9/08  
उप संचालक

 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 25/9/08

पृष्ठा. क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./75/2008/ 230  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
  3. संबंधित जिला-कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
  4. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश।
  5. आयुक्त, नगर पालिका निगम इन्दौर, जिला-इन्दौर मध्यप्रदेश।
  6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
  7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
  8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मध्यप्रदेश।
  9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया उक्तानुसार संविलियन की शर्तों एवं संबंधितों के सेवा अभिलेखों से पुष्टि उपरान्त ही कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

  
25/9/08  
उप संचालक

 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./75/2008/ 229

भोपाल, दिनांक 25/9/08

:: आदेश ::


मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती रिकू कतिया अध्यापक (विज्ञान) शा. मावि लोलांगरा जिला-हरदा	जनपद पंचायत खिरकिया जिला-हरदा जा.क्र. 1606दि. 05.09.08	जनपद पंचायत बैरसिया जिला-भोपाल जा.क्र.5059, दि.19.09.08 शा.हाईस्कूल धमर्रा
2	श्रीमती साधना साहू अध्यापक शा. भावि रामगढ़ जिला-टीकमगढ़	जनपद पंचायत जतारा जिला-टीकमगढ़ जा.क्र. 2173,दि.11.07.08	नगर पंचायत वण्डा जिला-सागर जा.क्र.1133, दि.30.08.08 शा. बा. मावि बण्डा
3	श्रीमती मीना अहिरवार सहायक अध्यापक शा. मावि आदिवास बा. आश्रम शाला चिखला जिला-कटनी	जनपद पंचायत रीठी जिला-कटनी जा.क्र.800, दि.28.07.08	जनपद पंचायत जबलपुर जिला- जबलपुर जा.क्र.2820, दि.22.09.08 शा. प्रावि बन्दरकोला
4	कु. अनिता पैगवार अध्यापक शा. मावि खरहटा जिला-कटनी	जनपद पंचायत बड़वारा जिला-कटनी जा.क्र.1150, दि.15.09.08	जनपद पंचायत पनागर जिला-जबलपुर जा.क्र.1692, दि.19.09.08 शा. हाईस्कूल बरौदा शा. हाईस्कूल सुन्दरपुर शा. हाईस्कूल सिंगलदीप
5	श्रीमती सविता रावत अध्यापक शा. मावि किसौनी जिला-शाजापुर	जनपद पंचायत शुजालपुर जिला-शाजापुर जा.क्र. निरंक दि. निरंक	नगर पंचायत सांवेर जिला-इन्दौर जा.क्र.1227, दि.19.09.08 शा. क. मावि सांवेर

संविलियन की शर्तें -

- यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।


निरन्तर ... 2






3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।


“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


  
25/9/08  
उप संचालक

 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 25/9/08

पृष्ठा. क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./75/2008/ 230  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
  3. संबंधित जिला-कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
  4. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश।
  5. आयुक्त, नगर पालिका निगम इन्दौर, जिला-इन्दौर मध्यप्रदेश।
  6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
  7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
  8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मध्यप्रदेश।
  9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु। कृपया उक्तानुसार संविलियन की शर्तों एवं संबंधितों के सेवा अभिलेखों से पुष्टि उपरान्त ही कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाई सुनिश्चित की जावे।

  
25/9/08  
उप संचालक

 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./76/2008/223


भोपाल, दिनांक 25/9/08

:: संशोधन ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्र./अध्या.संवर्ग/ए/संवि./031/2008/37-38, दिनांक 21.08.2008 के द्वारा अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति जारी की गई थी। उल्लेखित आदेश के स.क्र. 09 पर अंकित श्रीमती किरण सेन, अध्यापक, शा. मावि कासल पिपरिया, जिला-सागर को आदेश के कालम-3 के अनुसार जनपद पंचायत दमोह जिला-दमोह के अन्तर्गत शा. चौपरा रैयतवारी, शा. इमलाई एवं शा. मारुताल के लिए संविलियन की अनुमति जारी की गई थी। इन संस्थाओं में पद रिक्त नही होने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह के पत्र क्र./3259, दिनांक 22.09.08 द्वारा अवगत कराया गया है।

2/ उक्त के प्रकाश में जनपद पंचायत दमोह जिला-दमोह द्वारा मान्य होने पर संचालनालय के उल्लेखित आदेश के कॉलम-3 में अंकित शाला शा. चौपरा रैयतवारी, शा. इमलाई एवं शा. मारुताल के स्थान पर शा. मावि हिरदेपुर पढ़ा जावे।


शेष आदेश यथावत् रहेगा।

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./76/2008/224  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 25/9/08

1. कलेक्टर, जिला-सागर एवं दमोह मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, सागर एवं दमोह मध्यप्रदेश।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सागर एवं दमोह मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रहली, जिला-सागर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दमोह जिला-दमोह मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. संबंधित - श्रीमती किरण सेन, अध्यापक, शा. मावि कासल पिपरिया, जिला-सागर की ओर सूचनार्थ।

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश